... पत्र हुई। पत्रकार उपस्थित। ~~वाद पक्ष ने~~
~~कार्य व्यस्त था~~। विपक्षीगण अधिवक्ता ~~बहस करने में~~
~~व्यस्त~~ / ~~अवकाश पर~~ / अवकाश पर है। पत्रावली आईन्दा
कार्यवाही दिनांक 23.5.19 को पेश हो। आज प्रार्थना-पत्र
पेश किया गया।

23/5/19 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी / वकील उभय पक्ष
हाजिर SDO सा० दौरे ~~पर/अवकाश पर~~ / ~~मुख्या~~
~~अन्य~~ कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक
08/07/19 को पेश हो।

8.7.19 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी / वकील उभय पक्ष
हाजिर SDO सा० दौरे पर / ~~अवकाश पर~~ / जयपुर
~~अन्य कार्य में व्यस्त~~ है पत्रावली दिनांक
23.8.19 को पेश हो।

25/7/19 आज यह पत्रावली वादीगण / प्रतीगण द्वारा प्राप्त पेश करने पर बहस में ली गई। प्रतीगण के विरुद्ध किया है प्रतीगण व अप्रतीगण का पर्याप्त के लोगों के आपसी झगड़ा उत्पन्न किया है। प्रार्थी 112 RTA आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वादपत्र प्रतीगण पक्ष को वापस दिया जाये। प्रतीगण की विपक्ष Dov. की बुलाकर फिर पर बयान भी प्रमाणित हुए की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। अब प्रार्थना 112 RTA के लंबित वाद पत्र दिया कि अब प्रार्थना का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः प्रार्थना इसी स्तर पर खारिज किया जाता है व शेष 28/10/19 को पत्रावली T.I की आदेश किया जाता है। प्रतीगण के पक्ष किया जाकर बताए दो।

अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

प्रार्थना पत्र
प्रकरण संख्या- 122/19

Scanned by CamScanner